भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/डीओआर/2025-26/235

डीओआर.सीआरई.आरईसी.154/13.03.000/2025-26 नवंबर 28, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - अग्रिमों पर ब्याज दरें) निदेश, 2025

विषय-सूची

अध्याय I - प्रारंभिक 2

अध्याय II - सामान्य दिशानिर्देश 4

अध्याय III - बेंचमार्क 6

अध्याय IV - ऋण दरों के अन्य पहलू 10

अध्याय V - विदेशी मुद्रा अग्रिम 13

अध्याय VI - छूट 14

अध्याय VII - निरसन और अन्य प्रावधान 16

अनुबंध 18

परिचय

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 तथा 35ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों/कानूनों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे इसके बाद 'रिज़र्व बैंक' या 'आरबीआई' कहा जाएगा) इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

क. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - अग्रिमों पर ब्याज दरें) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

2. यह निदेश जारी होते ही तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे।

ख. प्रयोज्यता

3. ये निर्देश स्थानीय क्षेत्र बैंकों पर लागू होंगे (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से 'बैंक' और व्यक्तिगत रूप से 'बैंक' के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

ग. परिभाषाएँ

4. इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, यहां प्रयुक्त शब्दों का अर्थ नीचे दिए गए अनुसार होगा:

1. 'स्वयं की जमाराशियों पर अग्रिम' का अर्थ है रुपया/एफसीएनआर (बी) सावधि जमाराशियों पर प्रदान किए गए अग्रिम और जमा राशि निम्नलिखित के नाम पर हों:
   - I. उधारकर्ता, के नाम पर, एकल या संयुक्त रूप से।
   - II. साझेदारी फर्म के साझेदारों में से एक के नाम पर तथा अग्रिम ऐसी फर्म को दिया गया है।
   - III. स्वामित्व प्रतिष्ठान के मालिक के नाम पर तथा अग्रिम ऐसे प्रतिष्ठान को दिया गया है।

IV. एक आश्रित जिसका अभिभावक आश्रित की ओर से ऋण लेने के लिए सक्षम है और जहां अभिभावक को इस क्षमता में ऋण दिया जाता है।

2. 'बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर)' से तात्पर्य 30 जून 2010 तक स्वीकृत किए गए अग्रिमों/ऋणों पर ब्याज दरों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त आंतरिक बेंचमार्क दर से है।

3. 'बेंचमार्क दर' से तात्पर्य ऋणों पर ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली संदर्भ दर से है।

4. 'बाहरी बेंचमार्क दर' से तात्पर्य उस संदर्भ दर से है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

I. भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतिगत रेपो दर;

II. फ़ाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ़बीआईएल) द्वारा प्रकाशित भारत सरकार जारी तीन महीने और छह महीने के ट्रेजरी बिलों का प्रतिफल;

III. एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कोई अन्य बेंचमार्क बाजार ब्याज दर।

5. 'नियत दर ऋण' का अर्थ है ऐसा ऋण जिस पर ऋण की संपूर्ण अवधि के दौरान ब्याज दर स्थिर रहेगी।

6. 'अस्थायी दर ऋण' का अर्थ ऐसे ऋण से है जिस पर ऋण की संपूर्ण अवधि के दौरान ब्याज दर स्थिर नहीं रहती।

7. 'आंतरिक बेंचमार्क दर' का अर्थ है बैंक द्वारा आंतरिक रूप से निर्धारित की गई संदर्भ दर।

8. 'सूक्ष्म वित्त ऋण' का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 में दिया गया है।

9. 'अंतराल' उधारकर्ताओं को ब्याज लगाने की आवधिकता से संबंधित है।

10. 'अल्पकालिक उधार' का अर्थ है एक वर्ष से कम अवधि के लिए उधार लेना।

11. 'सावधि ऋण' का अर्थ है ऐसा ऋण, जिसकी चुकौती एक विनिर्दिष्ट समयावधि के बाद की जानी है।

12. यदि अन्यथा परिभाषित न किया गया हो, तो अन्य सभी अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या अन्य किसी सांविधिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन, यथास्थिति, में दिए गए हों, अथवा जैसा वाणिज्यिक वार्तालाप में प्रयुक्त होता हो।

अध्याय II - सामान्य दिशानिर्देश

क. ब्याज दर का ढांचा

5. बैंक इन निदेशों में विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर अपने ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज लगाएंगे।

1. सूक्ष्म वित्त ऋण सहित अग्रिम ऋण पर ब्याज दरों पर निदेशक मंडल अथवा मंडल की कोई अन्य समिति, जिसको शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, के द्वारा विधिवत् अनुमोदित विस्तृत नीति होगी।

2. धारा 44 में उल्लिखित ऋणों को छोड़कर, सभी अस्थायी दर ऋणों की कीमत धारा 9 से 26 में उल्लिखित बेंचमार्क के अनुसरण में होगी ।

3. बैंक को सभी श्रेणियों के ऋणों को स्थिर या अस्थिर ब्याज दरों पर देने की स्वतंत्रता होगी।

4. जब अस्थिर दर वाले ऋण संदर्भ बेंचमार्क दर से जुड़े होते हैं, तो बैंक संदर्भ बेंचमार्क दर में कीमत –लागत अंतर के घटकों को जोड़कर अपनी वास्तविक उधार दरें निर्धारित करेंगे।

5. ऋणों के मूल्य निर्धारण के लिए प्रयुक्त संदर्भ बेंचमार्क दर ऋण संविदा के निबंधनों का एक भाग होगी।

6. 3 वर्ष से कम अवधि के सावधि ऋण पर ब्याज दरें समान अवधि के लिए बेंचमार्क दर से कम नहीं होंगी और धारा 44 (4) (v) में निहित निर्देशों के अनुसार होंगी।

7. सभी अग्रिमों पर मासिक अंतराल पर ब्याज लगाया जाएगा।
बशर्ते, कृषि अग्रिम तथा किसानों को दिए जाने वाले अग्रिमों पर ब्याज, बैंक द्वारा निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार लिया जाएगा:

   I. लघु एवं सीमांत किसानों को दिए गए अल्पकालिक ऋणों पर कुल ब्याज राशि मूलधन से अधिक नहीं होनी चाहिए।
   II. बैंक केवल लंबी अवधि की फसल के लिए कृषि अग्रिमों पर वार्षिक अंतरालों पर ब्याज ले सकता है।
   III. अल्पावधि की फसलों और संबद्ध गतिविधियों के संबंध में अन्य कृषि अग्रिमों के मामले में, बैंक ब्याज वसूलते समय उधारकर्ताओं के साथ तरलता और कटाई/विपणन मौसम के आधार पर निर्धारित देय तारीखों को ध्यान में रख सकता है और यदि ऋण/किस्त की अदायगी में देरी होती है तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा सकता है।

8. रुपया अग्रिमों पर लगाए जाने वाले ब्याज को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।

9. कम मूल्य के ऋणों, विशेषत:, वैयक्तिक ऋण तथा इसी प्रकार के अन्य ऋणों पर लगने वाला ब्याज, ऋण प्रदान करने में बैंक द्वारा लगाई गई कुल लागत तथा ऐसे लेनदेनों से अपेक्षित यथोचित प्रतिलाभ के संबंध में न्यायसंगत होगा।

10. ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी केंद्रों में एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक की शाखाओं का अधिग्रहण करने के मामले में वर्तमान शाखा से अधिग्रहण करने वाली शाखा में उधार खातों का अंतरण संविदा की आपस में सहमत शर्तों पर किया जाएगा।

बशर्ते, विद्यमान उधारकर्ताओं को कोई नुकसान न हो तथा वर्तमान बैंक या अधिग्रहण करने वाले बैंक के साथ बने रहने का विकल्प हो।

11**.** उस बेंचमार्क से जुड़े सभी ऋणों के लिए किसी विशेष परिपक्वता के लिए बेंचमार्क दर से नीचे कोई ऋण नहीं होगा।

6. उपर्युक्त धारा 5 में निहित निदेश किसी तीसरे पक्ष को एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर अथवा एफसीएनआर (बी) योजना के अंतर्गत जुटाए गए स्रोतों में से दिए गए रुपया अग्रिमों पर भी लागू होंगे।

ख. सूक्ष्म वित्त ऋण का मूल्य निर्धारण

7. बैंक सूक्ष्म वित्त ऋणों के मूल्य निर्धारण के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. सर्व-समावेशी ब्याज दर निर्धारित करने के लिए एक सुस्पष्ट प्रलेखित ब्याज दर मॉडल/दृष्टिकोण।
2. वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर प्रत्येक घटक की मात्रा के संदर्भ में ब्याज दर के घटकों जैसे निधियों की लागत, जोखिम प्रीमियम और मार्जिन आदि का सीमांकन।
3. उधारकर्ताओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रत्येक घटक के प्रसार की सीमा।
4. सूक्ष्म वित्त ऋणों पर लागू ब्याज दर और अन्य सभी प्रभारों की अधिकतम सीमा।

8. सूक्ष्म वित्त ऋणों पर ब्याज दरें और अन्य प्रभार/शुल्क अत्यधिक नहीं होने चाहिए। इनकी रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी जांच की जाएगी।

अध्याय III - बेंचमार्क

क. आंतरिक बेंचमार्क

क.एक आधार दर

9. 1 जुलाई, 2010 और 31 मार्च, 2016 के बीच स्वीकृत और नवीकृत किए गए सभी अस्थिर दर रुपया ऋण की कीमत आधार दर के अनुसरण में होगी, जो इस तरह के उद्देश्यों के लिए आंतरिक बेंचमार्क होगा।

10. आधार दर में उधार दरों के वे सभी तत्व शामिल होंगे जो सभी श्रेणियों के उधारकर्ताओं के बीच सामान्य हैं।

11. प्रत्येक बैंक के लिए केवल एक ही आधार दर हो सकती है।

12. बैंक को यह स्वतंत्रता होगी कि वे निधियों की औसत लागत अथवा निधियों की सीमांत लागत अथवा अन्य किसी प्रचलित विधि के द्वारा अपनी निधियों की लागत की गणना करें, जो कि उचित और पारदर्शी होगी, बशर्ते वह सुसंगत हो और आवश्यकता पड़ने पर पर्यवेक्षीय समीक्षा/जांच के लिए उपलब्ध हो।

बशर्ते, जहां एक या अधिक परिपक्वता काल की जमाराशियों के लिए कार्ड- दर का आधार लिया जाता है, वहां बैंक की जमाराशियों के आधार में चयनित परिपक्वता काल/लों की जमाराशियों का बड़ा भाग होगा।

13. बैंक तिमाही में कम-से-कम एक बार बैंक की प्रथा के अनुसार, बोर्ड या आस्ति देयता प्रबंध समिति (एएलसीओ) के अनुमोदन से आधार दर की समीक्षा करेंगे।

क.दो निधियों की सीमांत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर)

14. 1 अप्रैल 2016 से स्वीकृत और नवीकृत सभी अस्थिर निधि आधारित ऋण दरों के सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) के अनुसरण में होगी, जो इस मास्टर निदेश के धारा 24 से 26 में निहित प्रावधानों के अधीन इस उद्देश्यों के लिए आंतरिक बेंचमार्क होगा।

15. एमसीएलआर में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. निधियों की सीमांत लागत;
2. सीआरआर के कारण ऋणात्मक धारण- प्रतिफल;
3. परिचालन लागतें;
4. परिपक्वता काल प्रीमियम.

क.दो.एक निधियों की सीमांत लागत

16. निधियों की सीमांत लागत में उधारों की सीमांत लागत तथा निवल मालियत पर प्रतिलाभ शामिल होंगे। निधियों की सीमांत लागत की गणना के लिए विस्तृत पद्धति अनुबंध में दी गई है।

क.दो.दो सीआरआर के कारण ऋणात्मक धारण- प्रतिफल नकारात्मक

17. अनिवार्य सीआरआर पर ऋणात्मक धारण-प्रतिफल, जो सीआरआर शेष पर प्रतिफल शून्य होने के कारण उत्पन्न होता है, की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

अपेक्षित सीआरआर x (सीमांत लागत) / (1- सीआरआर)

ऊपर धारा 16 में हासिल की गई निधियों की सीमांत लागत को सीआरआर पर ऋणात्मक धारण-प्रतिफल की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

क.दो.तीन परिचालन लागतें

18. इस शीर्ष के अंतर्गत निधियां जुटाने की लागत सहित ऋण उत्पाद उपलब्ध कराने से संबंधित सभी परिचालनगत लागतों को शामिल किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन सेवाओं को उपलब्ध कराने की लागत सेवा-प्रभार के रूप में अलग से वसूल की जाती है, वह इस घटक का भाग नहीं है।

19. बैंक एमसीएलआर की गणना के लिए निधियों की सीमांत लागत के प्रतिशत के रूप में सभी परिचालन लागतें की गणना करेगा।

क.दो.चार परिपक्वता काल प्रीमियम

20. ये लागतें दीर्घतर अवधि की ऋण प्रतिबद्धताओं के कारण उत्पन्न होती हैं। परिपक्वता काल प्रीमियम में परिवर्तन विशिष्ट उधारकर्ता या विशिष्ट ऋण-श्रेणी के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी भी अवशिष्ट अवधि के लिए परिपक्वता काल प्रीमियम सभी प्रकार के ऋणों के लिए एक समान होगा।

21. अनुलग्नक के अनुसार गणना की गई एमसीएलआर की अवधि निम्नलिखित के अनुरूप होगी:

(एक) एमसीएलआर के निर्धारण के लिए मान्य सबसे बड़े एकल समूह (बकेट) में निधियों का परिपक्वता काल, बशर्ते कि यह समस्त निधियों के 30 प्रतिशत से अधिक हो, अथवा

(दो) यदि किसी एकल परिपक्वता बकेट से निधियों के 30 प्रतिशत नहीं बनता हो, तो दो या अधिक परिपक्वता बकेट का भारित औसत, जो एक साथ मिलाकर 30 प्रतिशत होता हो। परिपक्वता समय बकेटों के अवरोही क्रम के आधार पर संचयी भारिता की गणना करके इस परिपक्वता बकेट को

हासिल किया जाएगा। नीचे दिया गया उदाहरण, जिसमें किसी भी परिपक्वता अवधि में 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि नहीं है, बैंकों के मार्गदर्शन के लिए है:

क्रसं.	**मूल परिपक्वता**	**कुल निधियों के प्रतिशत के रूप में बकाया शेष राशि (इक्विटी के अलावा)**	**संचयी वेटेज (प्रतिशत में)**
1	5 वर्ष और उससे अधिक	15.1	15.1
2	3 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम	11.8	26.9
3	2 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम	9.3	36.2
4	1 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम	16.9	53.1
5	6 महीने और उससे अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम	24.3	77.4
6	91 दिन और उससे अधिक लेकिन 6 महीने से कम	10.5	87.9
7	90 दिनों तक	12.1	100
	कुल	100	

उधार की उपर्युक्त परिपक्वता प्रोफ़ाइल के लिए, एमसीएलआर पहले तीन बार की अवधि के भारित औसत के अनुरूप होगा।

22. चूंकि एमसीएलआर अवधि से जुड़ा हुआ बेंचमार्क है, इसलिए बैंक निधियों की सीमांत लागत, सीआरआर के कारण ऋणात्मक धारण- प्रतिफल तथा परिचालन लागतों के योग में समनुरूप परिपक्वता काल प्रीमियम/डिस्काउंट शामिल करके विभिन्न परिपक्वताओं के एमसीएलआर को हासिल करेंगे। तदनुसार, एक बैंक निम्नलिखित परिपक्वताओं के लिए आंतरिक बेंचमार्क प्रकाशित करेगा:

1. एक दिवसीय एमसीएलआर,
2. एक माह का एमसीएलआर,
3. तीन माह का एमसीएलआर,
4. छः माह की एमसीएलआर,
5. एक वर्षीय एमसीएलआर।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बैंकों के पास अन्य किसी दीर्घतर परिपक्वता के लिए एमसीएलआर के प्रकाशन का विकल्प होगा।

क.दो.पाँच एमसीएलआर की समीक्षा

23. बैंक अपने बोर्ड अथवा किसी अन्य समिति, जिसमें शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, के अनुमोदन से प्रत्येक माह में एक पूर्व-घोषित तारीख को विभिन्न परिपक्वताओं के लिए अपनी निधियों की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की समीक्षा और प्रकाशन करेंगे।

ख. बाहरी बेंचमार्क

24. बैंकों द्वारा विस्तारित सभी अस्थाई दर व्यक्तिगत या खुदरा ऋण (आवास, ऑटो, आदि) और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) को दिए गए अस्थाई दर ऋण बाहरी बेंचमार्क दर से बेंचमार्क किए जाएंगे।

25. बैंक अन्य प्रकार के उधारकर्ताओं को भी ऐसे बाहरी बेंचमार्क से जुड़े ऋण का प्रस्ताव देने के लिए स्वतंत्र हैं।

26. ऋण उत्पादों की पारदर्शिता, मानकीकरण और उधारकर्ताओं द्वारा इसकी आसानी से समझ सुनिश्चित करने के लिए, बैंक को एक ऋण श्रेणी के लिए एक समान बाहरी बेंचमार्क अपनाना चाहिए; दूसरे शब्दों में, एक बैंक द्वारा एक ही ऋण श्रेणी के भीतर एक से अधिक बेंचमार्क अपनाने की अनुमति नहीं है।

अध्याय IV - ऋण दरों के अन्य पहलू

क. कीमत-लागत अंतर (स्प्रैड)

27. बैंकों के पास किसी ग्राहक को लगाए गए स्प्रैड प्रभार के घटकों का निरूपण करते हुए एक बोर्ड अनुमोदित नीति होनी चाहिए। इस नीति में निम्नलिखित के लिए सिद्धान्त शामिल होने चाहिए:

1. स्प्रैड के प्रत्येक घटक की मात्रा के निर्धारण के लिए।
2. किसी भी उधारकर्ता /ऋण के प्रकार के लिए स्प्रैड के फैलाव के निर्धारण के लिए।
3. ऋण के मूल्य-निर्धारण के संबंधी शक्तियां के प्रत्यायोजन के लिए।

क.एक आधार दर प्रणाली के अंतर्गत स्प्रैड

28. इन निदेशों की धारा 27 में निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त, बैंक निम्नलिखित शर्तों का पालन करेंगे:

1. ग्राहक की ऋण जोखिम प्रोफाइल में गिरावट अथवा परिपक्वता काल प्रीमियम में परिवर्तन के कारणों को छोड़ कर किसी विद्यमान उधारकर्ता को लगाए गए ऋण जोखिम प्रीमियम में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए।

बशर्ते, ऊपर उप-धारा 28(1) में निहित शर्त संघीय/ बहु-बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत ऋणों पर लागू नहीं होगी।

2. आधार दर प्रणाली के अंतर्गत मंजूर किए गए ऋणों पर परिपक्वता काल प्रीमियम में परिवर्तन विशिष्ट उधारकर्ता या विशिष्ट ऋण-श्रेणी के लिए नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, किसी भी अवशिष्ट अवधि के लिए परिपक्वता काल प्रीमियम में परिवर्तन सभी प्रकार के ऋणों के लिए एक समान होगा।

बशर्ते, बीपीएलआर प्रणाली के अंतर्गत प्रदत्त ऋण, जो आज तक जारी हैं, पर ऊपर उल्लिखित स्प्रैड दिशानिर्देश लागू नहीं होंगे। ऐसे कर्ज ऋण करारों की शर्तों के अधीन शामिल होंगे।

क.दो. एमसीएलआर प्रणाली के अंतर्गत स्प्रैड

29. इन निदेशों की धारा 27 में निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त, बैंक स्प्रैड के निम्नलिखित मुख्य घटकों को अपनाएंगे:

1. कारोबारी रणनीति

कारोबारी रणनीति, बाज़ार प्रतिस्पर्धा, ऋण-उत्पाद में सन्निहित विकल्प, ऋण की बाजार में तरलता आदि को ध्यान में रखते हुए इस घटक को निर्धारित किया जाएगा।

2. ऋण जोखिम प्रीमियम

ग्राहक से संबंध, अपेक्षित हानियाँ, संपार्श्विक आदि को विचार में लेने के बाद तथा समुचित ऋण जोखिम रेटिंग / स्कोरिंग मॉडल के आधार पर ग्राहक को प्रभारित ऋण जोखिम प्रीमियम, जो मंजूर किए गए ऋण से उत्पन्न चूक जोखिम दर्शाता है, को हासिल किया जाएगा।

30. ग्राहक के ऋण जोखिम प्रोफाइल में गिरावट के कारण को छोड़ कर किसी विद्यमान उधारकर्ता को प्रभारित स्प्रैड में वृद्धि नहीं की जाएगी। ऋण जोखिम प्रोफाइल में परिवर्तन के कारण स्प्रैड में परिवर्तन के संबंध में ऐसा कोई भी निर्णय ग्राहक की संपूर्ण जोखिम प्रोफाइल समीक्षा के द्वारा समर्थित होगा।

बशर्ते, ऊपर धारा 30 में निहित शर्त संघीय/ बहु-बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत ऋणों पर लागू नहीं होगी।

31. स्प्रेड के घटकों यानी कारोबारी रणनीति और ऋण जोखिम प्रीमियम का या तो सकारात्मक मूल्य होगा या शून्य होगा। दूसरे शब्दों में, प्रसार घटक नकारात्मक नहीं हो सकते।

क.तीन. बाहरी बेंचमार्क के अंतर्गत कीमत-लागत अंतर (स्प्रैड)

32. बैंक बाहरी बेंचमार्क पर कीमत-लागत अंतर के निर्धारण के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, ऋण जोखिम प्रीमियम केवल तभी बदल सकता है जब उधारकर्ता के ऋण मूल्यांकन में काफी परिवर्तन हुआ हो, जैसी कि ऋण अनुबंध में सहमति बनी हो। साथ ही, परिचालन लागत सहित कीमत-लागत अंतर के अन्य घटकों को तीन वर्षों में एक बार बदला जा सकता है।

बशर्ते कि, ग्राहक प्रतिधारण के लिए बैंकों द्वारा किसी ऋण श्रेणी हेतु अन्य स्प्रैड घटकों को तीन वर्ष से पहले, न्यायोचित आधार पर, गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से, और बैंक की नीति के अनुसार, कम किया जा सकता है।

ख. ब्याज दरों का पुनर्निर्धारण

ख.एक. निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) प्रणाली के अंतर्गत ब्याज दरों का पुनर्निर्धारण

33. बैंक चाहें तो अपने अस्थिर दर वाले ऋणों की ब्याज पुनर्निर्धारण तारीखों को विनिर्दिष्ट करेंगे। बैंकों के पास यह विकल्प होगा कि वे पुनर्निर्धारण की तारीख से जुड़े ऋणों को ऋण / ऋण सीमाएं के प्रथम संवितरण की तारीख से अथवा एमसीएलआर की समीक्षा की तारीख से प्रस्तावित करें।

34. ऋण के प्रथम संवितरण, चाहे आंशिक हो या पूर्ण, की तारीख को प्रचलित निधियों की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर) अगली पुनर्निर्धारण की तारीख तक, इस दौरान बेंचमार्क

में हुए परिवर्तनों पर ध्यान न देते हुए लागू रहेगी। आगामी पुनर्निर्धारण तारीखें तदनुसार निर्धारित की जाएंगी।

35. पुनर्निर्धारण की आवधिकता एक वर्ष या उससे कम होगी। पुनर्निर्धारण की सही आवधिकता ऋण संविदा के निबंधनों का ही एक भाग होगा।

36. एमसीएलआर के तहत पुन: निर्धारण की आवधिकता एमसीएलआर के उस अवधि/ परिपक्वता के अनुरूप होगी, जिसमें ऋण जुड़ा हुआ है।

ख.दो. बाहरी बेंचमार्क के अंतर्गत ब्याज दरों का पुनर्निर्धारण

37. बाहरी बेंचमार्क के अंतर्गत ब्याज दर तीन महीने में कम से कम एक बार पुनर्निर्धारित की जाएगी।

ग. आधार दर/बीपीएलआर से एमसीएलआर में परिवर्तन

38. बैंक अब तक की तरह आधार दर की समीक्षा और प्रकाशन करना जारी रखेंगे।

39. आधार दर/बीपीएलआर से जुड़े हुए वर्तमान ऋण तथा ऋण सीमाएं चुकौती या नवीकरण, जैसा भी मामला हो, तक जारी रहेंगे।

बशर्ते, विद्यमान उधारकर्ताओं के पास परस्पर स्वीकार्य शर्तों पर निधियों की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर) से जुड़े ऋण में परिवर्तन करने का विकल्प होगा।

बशर्ते, इस अंतरण/परिवर्तन को वर्तमान सुविधा का पुरोबंध (फोरक्लोज़र) नहीं माना जाएगा।

घ. एमसीएलआर/ आधार दर/ बीपीएलआर से बाहरी बेंचमार्क की ओर बढ़ना

40. एमसीएलआर /आधार दर/बीपीएलआर से जुड़ी मौजूदा ऋण और क्रेडिट सीमाएँ पुनर्भुगतान या नवीकरण तक जारी रहेंगी, जैसा भी मामला हो।

बशर्ते कि जो उधारकर्ता स्वीकृत अस्थिर दर मीयादी ऋण को वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुरूप अवधि-पूर्व भुगतान शुल्क के बिना फ्लोटिंग रेट लोन लेने के लिए पात्र हैं, उचित प्रशासनिक/ कानूनी लागत को छोड़कर अन्य किसी प्रभार/ शुल्क के बिना बाहरी बेंचमार्क में स्विचओवर के लिए पात्र होंगे। बाहरी बेंचमार्क में स्विचओवर के बाद इस श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए प्रभारित अंतिम दर, ऋण के आरंभ होते समय उसी श्रेणी, प्रकार, अवधि और राशि के नए ऋण के लिए प्रभारित दर के समान होगी।

बशर्ते कि अन्य मौजूदा उधारकर्ताओं के पास पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों पर बाहरी बेंचमार्क पर जाने का विकल्प होगा।

बशर्ते कि स्विच-ओवर को मौजूदा सुविधा की अवधि-पूर्व समाप्ति (फोरक्लोज़र) के रूप में नहीं माना जाएगा।

अध्याय V - विदेशी मुद्रा अग्रिम

क. विदेशी मुद्रा में अग्रिमों पर ब्याज दरें

41. बैंकों को अपने निदेशक बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति, जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, के द्वारा विधिवत् अनुमोदित अग्रिमों पर ब्याज दरों पर समग्र नीति के अनुसार विदेशी मुद्रा में अग्रिमों पर ब्याज दरों का निर्धारण करने की स्वतंत्रता होगी।

42. बाजार द्वारा निर्धारित बाहरी बेंचमार्क के संदर्भ में ब्याज दरों का निर्धारण किया जाएगा।

43. बाहरी बेंचमार्क में स्प्रैड के घटकों को जोड़ कर वास्तविक उधार दरों का निर्धारण किया जाएगा।

अध्याय VI - छूटें

44. निम्नलिखित प्रकार के ऋणों को इस निदेश के धारा 9 से 40 में निहित प्रावधानों से छूट दी जाएगी:

1. भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से बनाई गई योजनाओं में शामिल ऋण, जहां बैंकों को योजना के अनुसार ही ब्याज दरें लगानी पड़ती हैं।

2. परिशोधन/पुनर्रचना पैकेज के एक भाग के रूप में प्रदत्त कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण (डब्ल्यूसीटीएल), निधिक ब्याज मीयादी ऋण (एफआईटीएल)।

3. भारत सरकार अथवा किसी सरकारी उपक्रम के द्वारा बनाई गई विभिन्न पुनर्वित्त योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त ऋण, जहां बैंक पुनर्वित्त की उपलब्धता की सीमा तक योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित दर पर ही ब्याज लगाते हैं। पुनर्वित्त के अंतर्गत नहीं आने वाले अंश पर प्रभारित ब्याज दर के संबंध में आधार दर/ एमसीएलआर / बाहरी बेंचमार्क दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

4. ऋण की निम्नलिखित श्रेणी:

I. बैंकों के जमाकर्ताओं को उनकी स्वयं की जमाराशियों की जमानत पर ऋण।

II. सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित बैंकों के अपने कर्मचारियों को अग्रिम।

III. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदान की गई अग्रिम।

IV. बाजार द्वारा निर्धारित बाहरी बेंचमार्क से जुड़े ऋण।

बशर्ते**,** 01 अप्रैल 2016 से पूर्व स्वीकृत किए गए बाहरी बेंचमार्क पर आधारित अस्थिर दर वाले ऋणों की मंजूरी या नवीकरण करते समय वे आधार दर के समान या उससे ऊपर होने चाहिए।

V. तीन वर्ष से अधिक अवधि वाले नियत दर पर ऋण।

बशर्ते कि मिश्र ऋणों के मामले में जहां ब्याज दरें आंशिक रूप से निश्चित और आंशिक रूप से अस्थिर होती हैं, अस्थिर भाग पर ब्याज दर इन निर्देशों में निहित प्रासंगिक अस्थिर ब्याज दर निर्देशों के अधीन होगी।

बशर्ते कि तीन वर्ष तक की अवधि के निश्चित दर वाले ऋणों (मिश्र ऋणों के निश्चित दर वाले हिस्से सहित) पर ब्याज दरें (बिल डिस्काउंटिंग और फैक्टरिंग सुविधाओं पर ब्याज दरों को छोड़कर) निम्नलिखित के योग से कम नहीं होंगी:

क. निधियों की सीमांत लागत

ख. सीआरआर पर ऋणात्मक धारण- प्रतिफल

ग. परिचालन लागत

घ. मंजूरी की तारीख को तदनुरूप परिपक्वता के लिए अवधि प्रीमियम

बशर्ते, यह भी कि 01 अप्रैल 2016 से पूर्व स्वीकृत किए गए नियत दर ऋण मंजूरी या नवीकरण करते समय आधार दर से कम/नीचे नहीं होने चाहिए।

उदाहरण के लिए, एक बैंक लंबी अवधि की परियोजनाओं को स्थिर दर वाले ऋण प्रदान कर सकता है, जिसमें ब्याज दर तब तक तय की जाती है जब तक कि ऋण पुनर्वित्त के लिए देय न हो। पुनर्वित्त के समय ऋण को पुनर्वित्त की अगली तारीख तक की अवधि के बराबर परिपक्वता अवधि के साथ एक नई निश्चित दर ऋण के रूप में माना जाएगा।

अध्याय VII - निरसन और अन्य प्रावधान

क. निरसन और बचत

45. इन निदेशों के जारी होने के साथ, स्थानीय क्षेत्र बैंकों पर लागू अग्रिमों पर ब्याज दरों से संबंधित मौजूदा निदेशों, अनुदेशों और दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया गया है, जैसा कि दिनांक नवंबर 28, 2025 की अधिसूचना डीओआर.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 द्वारा सूचित किया गया है। इन निदेशों को जारी करने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त रहेंगे।

46. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या की गई मानी जाने वाली या शुरू की गई कोई भी कार्रवाई उसके प्रावधानों द्वारा शासित होगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी मंजूरियां या स्वीकृतियों को इन निदेशों द्वारा अभिशासित समझी जाएगा। इसके अलावा, इन निर्देशों, अनुदेशों या दिशा-निर्देशों के निरसन से निम्नलिखित पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

(1) इनके तहत अर्जित, उपार्जित या उत्पन्न कोई भी अधिकार, दायित्व या देनदारी;

(2) इनके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में लगाया गया कोई भी जुर्माना, ज़ब्ती या दंड;

(3) उपरोक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देनदारी, जुर्माना, ज़ब्ती या दंड के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, ज़ब्ती या दंड लगाया जा सकता है मानो वे निर्देश, अनुदेश या दिशा-निर्देश निरस्त नहीं किए गए हों।

ख. अन्य विधियों के आवेदन पर रोक नहीं है

47. इन निदेशों के उपबंध तत्समय लागू किसी अन्य विधियों, नियमों, विनियमों या निदेशों के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उनकी अवहेलना नहीं करेंगे।

ग. व्याख्याएं

48. इन निदेशों के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से या इन निदेशों के उपबंधों के आवेदन या व्याख्या में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(वैभव चतुर्वेदी)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध

(पैराग्राफ 14 से 23 देखें)

क्र.सं.	निधियों *का स्रोत (इक्विटी को छोड़कर)*	*समीक्षा की तारीख को जमाराशियों पर* प्रस्तावित ब्याज दरें/ /वह दर *जिस पर* निधियां जुटाई गईं *(1)*	*कुल निधियों के प्रतिशत के रूप में बकाया शेष राशि (इक्विटी के अलावा) (2) (नीचे* टिप्पणी *देखें)*	*सीमांत लागत (1)x(2)*	टिप्पणी
एक	उधारों **की सीमांत लागत**				
1	**जमा** राशियां				
ए	चालू जमाराशियां				भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक – आस्ति देयता प्रबंधन) निदेश, 2025 के आधार पर पहचानी गई वर्तमान जमाराशियों के मुख्य भाग को शेष बक़ाया राशि तक पहुंचने के लिए गिना जाना चाहिए।
बी	बचत जमा राशियां				भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक – आस्ति देयता प्रबंधन) निदेश, 2025 के आधार पर पहचानी गई बचत जमा के मुख्य भाग को शेष बक़ाया राशि तक पहुंचने के लिए गिना जाना चाहिए।
सी	सावधि जमाराशियां (नियत दर)				ऐसी जमाराशियां, जिन पर विभेदक ब्याज दरों की अदायगी की जानी है, सहित विभिन्न परिपक्वता वाली मीयादी जमाराशियों को शामिल किया जाना चाहिए।

डी	सावधि जमाराशियां (अस्थिर दर)				समीक्षा की तारीख पर प्रचलित बाहरी बेंचमार्क दर के आधार पर दर को हासिल किया जाना चाहिए।
ई	विदेशी मुद्रा जमाराशियां				रुपये में ऋण देने के लिए नियोजित सीमा तक विदेशी मुद्रा जमाराशियों को निधियों की सीमांत लागत की गणना में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसी जमाराशियों की सीमांत लागत की गणना के लिए अदला-बदली (स्वैप) लागत तथा बचाव (हेज) लागत को गिना जाना चाहिए।
2	**उधार**				
ए	अल्पावधि रुपया उधार				प्रत्येक प्रकार के अल्पकालिक उधारों पर देय ब्याज को उन औसत दरों का प्रयोग करके हासिल किया जाएगा, जिन पर पिछले एक महीने के दौरान ऐसे अल्पकालिक उधार जुटाए गए थे। उदाहरणार्थ, भारिबैंक से एलएएफ के अंतर्गत उधारों पर ब्याज उस औसत ब्याज दर पर होगा, जिस पर पिछले एक महीने के दौरान बैंक ने भारिबैंक से एलएएफ के अंतर्गत उधार लिया है।
बी	दीर्घावधि रुपया उधार				विकल्प 1: प्रत्येक प्रकार के दीर्घावधि उधारों पर अदा किए जाने वाले ब्याज को उन औसत दरों का प्रयोग करके हासिल किया जाएगा, जिन पर ऐसे दीर्घावधि ऋण जुटाए गए हैं। विकल्प 2: भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा) द्वारा मूल्यांकन के प्रयोजन से प्रकाशित बैंक बांडों के लिए उपयुक्त बेंचमार्क प्रतिलाभ को सीमांत लागत की गणना के लिए परोक्षी (proxy) दर के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

सी	विदेशी बैंकों द्वारा प्रधान कार्यालय उधारों सहित विदेशी मुद्रा उधार (उनको छोड़ कर, जो टियर-। पूंजी का भाग हैं)				विदेशी मुद्रा उधारों का जिस सीमा तक रुपये में उधार देने के लिए प्रयोग किया गया है, को निधियों की सीमांत लागत की गणना में शामिल किया जाना चाहिए। निधियों की सीमांत लागत की गणना के लिए अदला-बदली (स्वैप) लागत तथा बचाव (हेज) लागत सहित विदेशी मुद्रा उधारों को जुटाने की संपूर्ण लागत को हिसाब में लिया जाएगा।
	उधारों की सीमांत लागत				**उधारों की सीमांत लागत निधियों की सीमांत लागत का भार** 92% **है, जबकि निवल मालियत पर प्रतिलाभ को शेष 8% भार मिलेगा।**
बी	**निवल मालियत पर प्रतिलाभ**	मौजूदा पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार जोखिम भारित आस्तियों के लिए अपेक्षित सामान्य इक्विटी टियर-1 पूंजी की राशि को निधियों की सीमांत लागत की गणना में शामिल किया जाएगा। चूंकि वर्तमान में सामान्य इक्विटी टियर-1 पूंजी आरडब्ल्यूए का (5.5% +2.5%) 8% है, अत: निधियों की सीमांत लागत में इस घटक को दी जाने वाली भारिता 8% होगी।			
		नए स्थापित बैंकों (देशी या भारत में शाखाओं के रूप में परिचालन करने वाले विदेशी बैंक) के मामले में, जहां मुख्यत: पूंजी द्वारा उधार परिचालनों का निधीयन किया जाता है, इस घटक के लिए भारिता अधिक, अर्थात् उधार देने के लिए नियोजित पूंजी की सीमा के अनुपात में हो सकती है। यह व्यवस्था परिचालन प्रारंभ करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। इक्विटी की लागत इक्विटी पर न्यूनतम वांछित प्रतिफल की दर होगी, जिसकी गणना जोखिम रहित दर पर मार्क अप के रूप में की जाएगी। बैंक पूंजी की लागत हासिल करने के लिए किसी भी मूल्य-निर्धारण मॉडल को अपना सकते हैं, जैसे पूंजी आस्ति मूल्य-निर्धारण मॉडल (सीएपीएम)। इस दर की वार्षिक समीक्षा की जा सकती है।			

निधियों की सीमांत लागत = 92% x उधारों की सीमांत लागत + 8% x निवल मालियत पर प्रतिलाभ

टिप्पणी*:* बैंकों के पास जिस दिन एमसीएलआर प्रभावी होगा, उससे पूर्व, किसी भी दिन जमाराशियों और अन्य उधारों के बकाया शेषों को गणना में लेने का विकल्प होगा, जो सात कैलेंडर दिनों से अधिक नहीं होंगे। चुने गए समय के अंतर को कम से कम एक साल की अवधि तक लगातार बनाए रखना होगा।